न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 106/21 तारीख रजू 04.10.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.........प्रार्थी

बनाम

1. अनोखी पत्नि ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर
2. ओमप्रकाश पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 11/11/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण अनोखी पत्नि ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर, ओमप्रकाश पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 1755 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली में आदेश दिनांक 26/05/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 1755 रकबा 0.50 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण अनोखी पत्नि ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर, ओमप्रकाश पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर की ओर से श्री ललित कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। अप्रार्थी को काफी मौके दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी ना तो स्वयं और ना ही जरिये वकील पेशी पर उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक पर पर्याप्त मौके प्रदान करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 20/ /2022 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ मातहत से पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:19 IST
Reason: SelfAttested

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 1755 रकबा 0.50 है0 पर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भू.अ.निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है अन्य व्यक्ति हजारी पि0 हारया बैरवा का कब्जा है तथा मौके पर आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण अनोखी पत्नि ओमप्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर, ओमप्रकाश पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 1755 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थीगण का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 1755 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बाढ बिलोली के आराजी खसरा नम्बर 1755 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बाढ बिलोली को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 11/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:19 IST
Reason: SelfAttested